भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3717
उत्तर देने की तारीख 21 दिसम्बर, 2021
30 अग्रहायण, 1943 (शक)

ग्रामीण स्तर तक खेलों की पहुंच

3717. श्री सुरेश कश्यप:
श्री राजबहादुर सिंह:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा खेलों को ग्रामीण स्तर पर आम जनता की पहुंच में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ किए गए बजटीय उपबंधों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों से भूमि अधिग्रहित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेलों को ग्रामीण स्तर पर जनता की पहुंच में लाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है । केंद्र सरकार उनके प्रयासों की पूर्ति करती है । तथापि, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ग्रामीण स्तर सहित देश में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें चलाता है:

(i) खेलो इंडिया स्कीम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता; (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्र चलाना ।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है ।

(ख) निधियों का आवंटन योजना-वार किया जाता है, न कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार । पिछले पांच वर्षों के दौरान, इस मंत्रालय की विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत 7,072.28 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई और 6,801.30 करोड़ रु. की राशि जारी की गई ।

(ग) देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ भूमि अधिग्रहण करने का इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

****